न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र.:–106 / 2020 दायर दिनांकः 27.07.2020

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. चन्द्रप्रकाश आत्मज रामेश्वर लाल जाति तैली निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 03.11.2020

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम टोपा पटवार मण्डल कोरमा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा संख्या 241 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस भूमि की तरमीम प्रार्थी की अनुपस्थिति में राजस्व कर्मचारियों द्वारा लाल स्याही से 241 अंकन कर गलत अंकित कर दी है। प्रार्थी का कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "क" में एबीसीडी स्थान पर है किन्तु नक्शे में तरमीम एम से बी एवं एन से डी कर रखी हैं। इस प्रकार पूरी 3 बीघा की तरमीम नहीं की गई है। इसलिए लाल स्याही से प्रार्थी की अनुपस्थिति में की गई तरमीम रद्ध की जावें तथा प्रार्थी की उपस्थिति में नये सिरे से तरमीम की जावें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा परिशिष्ट "क", शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 34 खसरा संख्या 241 पेश किये है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मौका पर्चा दिनांक 23.09.2020 के अनुसार पटवारी कोरमा द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 241 रकबा 3 बीघा पर मुताबिक नक्शे लट्ठे के आधार पर जो तरमीम कर रखी है उसमें प्रार्थी का स्वयं का ही कब्जा काश्त है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2072–75 के अनुसार आराजी ख.न. 241 रकबा 3–00 बीघा भूमि चन्द्रप्रकाश आ. रामेश्वर लाल कौम तेली सा. नैनवां खातेदार दर्ज है तथा आराजी ख.न. 512 / 241 रकबा 15–00 बीघा भूमि मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के आधार पर मोरपाल, हरपाल, गोपाल पि. रामनाथ, धापू बेवा रामनाथ, रोडू, अर्जुन, फोरया पि. भंवरलाल, नर्बदा बेवा भंवरलाल, कालूलाल, शोजीलाल, भैरूलाल, लक्ष्मण, शंकरलाल पि. देवा, राधा पुत्री देवा कौम गुजर सा. दियाली खातेदार दर्ज है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शा के आधार पर एवं मौके पर भी प्रार्थी का एएमएनसी व एनएमबीडी पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी चन्द्रप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल कौम तैली निवासी नैनवां का आराजी ख.न. 241 पर मौके पर खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा काश्त है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। न्यायालय प्रार्थी की भूमि की तरमीम शुद्व किया जाना न्यायोचित समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम टोपा पटवार मण्डल कोरमा तहसील नैनवां में प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा संख्या 241 रकबा 3 बीघा भूमि की तरमीम अनुसार नक्शा ट्रेस के अनुसार बिन्दु एम.बी.डी.एन. के स्थान पर ए.बी.वाय.एक्स. किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस को परिशिष्ट"क" नाम दिया गया है जो इस निर्णय का अभिन्न हिस्सा होगा।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:14:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner